

4/11/25

पत्रावली पेश हुई। अधीनस्थ अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 3/11/25 को पेश हो।

आदेश से सैक्टर

3/12/25 पत्रावली पेश हुई। वादी आधीवक्ता उषा) वादी
आधीवक्ता द्वारा वादपत्र उत्तुलीकरण के अभाव
पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जर्नलवादीगण की
तलबी हेतु सम्मन पेश नहीं किये गये हैं। वादी को
जर्नलवादीगण की तलबी हेतु न्यायालय में अग्रिम
अवसर दिया जाता है। पत्रावली वादी जर्नलवादीगण
की तलबी हेतु दिनांक 2/11/26 को पेश हो।

3/12/25

2/11/26 पत्रावली पेश हुई। वादी आधीवक्ता उषा) जर्नलवादीगण
की तलबी हेतु सम्मन पेश नहीं। पत्रावली वादी
जर्नलवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 22/11/26 को
पेश हो।

2/11/26

22/11/26

पत्रावली पेश हुई। आज स्थगनीय पारलसिेशन
यस कार्य स्थगन किया हुआ है। पत्रावली साबिक
आदेश दिनांक 9/2/26 को पेश हो।

आदेश से सैक्टर

9/2/26 पत्रावली पेश हुई। वादी आधीवक्ता उषा) वादी जस
जर्नलवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश नहीं। वादी की
जर्नलवादीगण की तलबी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के
बावजूद भी सम्मन पेश नहीं। वादी द्वारा जर्नलवादीगण
के सम्मन पेश नहीं किये जाने से वादी द्वारा उत्तुल बाद
आदेश उ नियम 5 वा-दी. में प्राधिकर किया जाता है।
निर्णय करे बचताप सुनाया गया पत्रावली फाँसल सुमार
हाका दाखिल दाखल है और नम्बर से कम हो।

9/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा